राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4285/2024

कृष्ण जोशी पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी मोती बिल्डिंग, नागौर, पी.एस. कोतवाली जिला नागौर.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
4. स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन नोखा, जिला बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : सुश्री स्वाति शेखर

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मुक्तियार खान, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>09/07/2024</u>

1. याचिका का हैड नोट इस प्रकार है:

> "एस.बी. आपराधिक विविध याचिका धारा 528 बीएनएसएस के तहत एफआईआर संख्या 0068/2024 दिनांक 02.02.2024 पुलिस स्टेशन नोखा जिला बीकानेर में धारा 420, 120-बी आईपीसी के तहत अपराध के लिए स्पष्ट, निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए।"

2. उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एफआईआर 02.02.2024 को पंजीकृत की गई थी, अर्थात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के 01.07.2024 से प्रभावी होने से पहले।

3. इस आधार पर, बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) के अंतर्गत निहित बचत खंड के मद्देनजर, याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की पुरानी संगत धारा 482 के तहत दायर किया जाना चाहिए था, न कि नई संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत।

4. त्वरित संदर्भ के लिए, बीएनएसएस की पूरी धारा 531 नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है:

> "531. निरसन और व्यावृत्तियाँ-
>
> (1). दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इसके द्वारा निरसित की जाती है।
>
> (2). ऐसे निरसन के होते हुए भी-
>
> (क). यदि इस संहिता के लागू होने की तारीख से ठीक पहले कोई अपील, आवेदन, परीक्षण, जाँच या कार्यवाई लंबित है, तो ऐसी अपील, आवेदन, परीक्षण, जाँच या कार्यवाई, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जाएगी, जारी रखी जाएगी, आयोजित की जाएगी या की जाएगी, जैसा कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी (जिसे इसके बाद उक्त संहिता के रूप में संदर्भित किया गया है), मानो यह संहिता लागू नहीं हुई थी;
>
> (ख) उक्त संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, जारी की गई घोषणाएं, प्रदत्त शक्तियां, स्थानीय क्षेत्राधिकारों द्वारा निर्धारित नियम, पारित किए गए दंड और आदेश, नियम और नियुक्तियां, जो विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं, और जो इस संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू हैं, वे क्रमशः इस संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन प्रकाशित, जारी, प्रदान, निर्दिष्ट, परिभाषित, पारित या बनाई गई मानी जाएंगी;
>
> (ग) उक्त संहिता के अधीन दी गई कोई मंजूरी या सहमति जिसके अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी, इस संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन दी गई मानी जाएगी और ऐसी मंजूरी

या सहमति के अनुसरण में इस संहिता के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी;

(3). जहां उक्त संहिता के तहत किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए निर्दिष्ट अवधि इस संहिता के प्रारंभ होने पर या उससे पहले समाप्त हो गई हो, वहां इस संहिता में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस संहिता के तहत कोई ऐसा आवेदन किया जा सकता है या कार्यवाही शुरू की जा सकती है, केवल इस तथ्य के आधार पर कि इस संहिता द्वारा इसके लिए अधिक लंबी अवधि निर्दिष्ट की गई है या इस संहिता में समय के विस्तार के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(जोर दिया गया)

5. हम यहाँ केवल उपधारा 531(2)(ए) में निहित बचत खंड से संबंधित हैं। इसके अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि न केवल लंबित परीक्षण/अपील, बल्कि बीएनएसएस के लागू होने से पहले चल रही जांच और/या जाँच भी सीआरपीसी, 1973 के प्रावधानों के अनुसार निपटाई जानी चाहिए, न कि बीएनएसएस, 2023 के तहत।

6. इसके लिए कारण ढूँढना मुश्किल नहीं हैं। केवल एफआईआर दर्ज करने की तारीख और उस पंजीकरण की तारीख को लागू कानून को देखा जाना चाहिए। यह सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन यह तय स्थिति है कि जैसे ही सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके अध्याय XII के तहत आपराधिक जांच/प्रशासनिक मशीनरी काम करना शुरू कर देती है। इस प्रकार, यदि 01.07.2024 से पहले सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो यह बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) के अर्थ में लंबित जांच/परीक्षण के बराबर होगी। संपूर्ण अनुवर्ती जांच प्रक्रिया और यहां तक कि ऐसी एफआईआर के लिए ट्रायल प्रक्रिया भी सीआरपीसी द्वारा शासित होगी, न कि बीएनएसएस द्वारा।

6.1. आइए इस पर और अधिक विस्तार से विचार करके इसका गहन विश्लेषण करें। विधायी प्रक्रियाओं में अक्सर एक साथ दो क्रियाएँ शामिल होती हैं, अर्थात् न केवल नया कानून बनाना, बल्कि एक ही समय में मौजूदा कानून को निरस्त करना भी। नए विधायी कोड की धारा 531, जिसे संक्षेप में "बीएनएसएस" कहा जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त करने की परिकल्पना करती है, और इसमें महत्वपूर्ण बचत प्रावधान भी शामिल है जो पुराने कोड और नए कोड के बीच संक्रमणकालीन अवधि को पूरा करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें कोई संदेह

नहीं है कि बीएनएसएस की धारा 531 प्रभावी रूप से पुराने कोड को क़ानून की किताबों से हटा देती है, हालाँकि, साथ ही यह बचत खंड के अधीन एक निरसन है और पूरी तरह से निरसन नहीं है। एक निश्चित संक्रमणकालीन अवधि प्रदान की गई है, और यह सही भी है। क्योंकि, संपूर्ण रूप से निरसन कानूनी अनिश्चितताओं को जन्म देगा, विशेष रूप से, पुराने कानून के तहत शुरू की गई चल रही कानूनी कार्यवाही के संबंध में। ऐसी अनिश्चितताओं को कम करने के लिए, बचत प्रावधान पेश किया गया है। बचत खंड यह सुनिश्चित करता है कि किसी पुराने कानून को निरस्त करने से पुरानी संहिता के तहत स्थापित किसी भी कानूनी कार्यवाही या अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बचत प्रावधान पुराने कानूनी ढांचे से नए में एक सहज संक्रमण की सुविधा प्रदान करता है। यह एक बफर अवधि प्रदान करता है जिसके दौरान न्यायिक और कानूनी प्रणालियाँ नई संहिता द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों के साथ समायोजित हो सकती हैं।

6.2. धारा 531(2) में बचत खंड कानूनी निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्धारित करता है कि निरस्तीकरण के बावजूद, नई संहिता के लागू होने से पहले लंबित कोई भी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या कार्यवाही पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा शासित होती रहेगी। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ होगा कि सभी चल रही कार्यवाही, जो पहले से ही पुरानी संहिता के तहत शुरू हो चुकी है, नई संहिता यानी बीएनएसएस द्वारा बाधित नहीं होगी। न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के कारण न्याय में न तो देरी हो और न ही न्याय से इनकार किया जाए, अगर प्रभावित पक्ष ऐसा महसूस करता है। एफआईआर में अभियुक्तों और/या विचाराधीन और/या अपील के तहत दोषियों के अधिकार और पुराने कानून के तहत बनाई गई कानूनी अपेक्षाओं की रक्षा की गई है और की जानी चाहिए। लंबित मामलों पर पुराने कोड की प्रयोज्यता किसी भी पूर्वव्यापी प्रतिकूल प्रभाव को रोकती है जो चल रहे मामलों में नए कानूनी प्रावधानों के अचानक आवेदन से उत्पन्न हो सकता है।

6.3. इसके अलावा, बचत खंड के अनुसार, पुराने कोड के तहत शुरू की गई कानूनी कार्यवाही में पहले से ही शामिल वादियों को इस प्रकार आश्वासन दिया गया है कि उनके मामलों को उस कानूनी ढांचे के तहत हल किया जाएगा, जिसके साथ वे शुरू में जुड़े थे। इस प्रकार बचत खंड यह सुनिश्चित करता है कि पुराने कोड को निरस्त करने से कानूनी शून्यता पैदा न हो, जिससे चल रही कार्यवाही अधर में

लटक जाए और ऐसी स्थिति से बचने के लिए पुरानी कानूनी प्रक्रिया को निर्बाध रूप से जारी रखना चाहिए।

6.4. न्यायपालिका की बात करें तो बचत खंड के अनुसार, जिसमें दोहरे दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है, यानी पुराने कानून के तहत चल रहे मामलों का निपटारा किया जाना है और 01.07.2024 के बाद नए कोड के तहत पंजीकृत मामलों का निपटारा किया जाना है, यहां तक कि अदालतें भी अपने कार्यभार को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकती हैं। पुराने कोड से परिचित न्यायाधीश और वकील नए प्रावधानों के तुरंत अनुकूल होने की आवश्यकता के बिना अपना काम जारी रख सकते हैं। नई संहिता की धारा 531 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त करते हुए, साथ ही साथ अपने बचत खंड के माध्यम से चल रही कानूनी कार्यवाही की सुरक्षा भी करती है।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रक्रियात्मक कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सकता है, बेशक न्यायिक समीक्षा के अधीन, लेकिन बीएनएसएस की धारा 531 (2) (ए) के मद्देनजर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि बीएनएसएस, 2023 के लागू होने से पहले सभी लंबित मामले, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 531 (2) (ए) में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, पुराने कोड यानी सीआरपीसी, 1973 द्वारा शासित होते रहेंगे। इसलिए, हाथ में याचिका को भी धारा 482 सीआरपीसी के तहत माना जाना चाहिए।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने हालांकि धारा 482 सीआरपीसी के तहत शुरू में तत्काल याचिका दायर की थी, लेकिन इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा उठाए गए आपत्ति पर, इसे बीएनएसएस की धारा 528 के तहत एक में परिवर्तित कर दिया गया था।

9. उपर्युक्त भाग में की गई चर्चा के मद्देनजर रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप वर्तमान याचिका को धारा 482 सीआरपीसी के तहत माना जाता है।

10. अब मामले के गुण-दोष पर विचार करते हैं। जांच की प्रगति और तरीके से असंतुष्ट याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन नोखा, जिला बीकानेर में दर्ज आईपीसी की धारा 420 सहपठित 120-बी के तहत कथित अपराधों के लिए दिनांक 02.02.2024 की एफआईआर संख्या 0068/2024 में निष्पक्ष जांच करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की है।

11. मामले के प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने एसएचओ पी.एस. नोखा जिला बीकानेर को बताया

कि उसके दिवंगत पिता ने दिनांक 08.12.1961 को पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से रणछोर राम नामक व्यक्ति से कृषि भूमि खरीदी थी। हालांकि, आरोपी सीता राम/गैर-स्वामी ने नगरपालिका बोर्ड अधिनियम, 1959 की धारा 300(1) के तहत नगरपालिका बोर्ड के समक्ष उसी भूमि के लिए अवैध रूप से कार्यवाही शुरू की। उक्त कार्यवाही 19.04.2007 को समाप्त/खारिज कर दी गई। इसके बाद, सीता राम ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी 20.09.2007 को खारिज कर दिया गया। सीता राम ने फिर भी हार नहीं मानी और इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 8572/2009 दायर की, जिसे भी दिनांक 18.02.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

11.1 वैधानिक अपील खारिज होने के बाद नगर निगम बोर्ड ने दिनांक 07.03.2017 के आदेश के तहत सीता राम को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस के खिलाफ दो सिविल रिट याचिकाएं सीडब्ल्यूपी संख्या 3376/2017 और 3665/2017 राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित बताई गई हैं और उनमें यथास्थिति बनाए रखने के लिए न्यायालय आदेश भी पारित किया गया है।

11.2. याचिकाकर्ता इस बात से व्यथित है कि उसकी एफआईआर के बावजूद, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया है और अभी तक आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। इसलिए यह तत्काल याचिका है।

12. याचिका में दिए गए उपरोक्त कथन के आलोक में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

13. उनका तर्क है कि जांच एजेंसी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है और एफआईआर दर्ज होने के बाद जानबूझकर जांच को रोक रही है।

14. मैं याचिकाकर्ता के वकील से सहमत नहीं हूँ। जांच अभी भी चल रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि चल रहे सिविल मुकदमे के कारण जांच अधिकारी सावधानी से काम कर रहे हैं। मेरी राय में, यह सही है। एक नागरिक, जो एक अभियुक्त है, की स्वतंत्रता को उसके द्वारा लगाए गए आपराधिक दोष के बारे में निश्चित हुए बिना यंत्रवत् रूप से सीमित नहीं किया जा सकता है। चाहे जो भी हो, अन्यथा भी, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में सीधे आने से पहले अन्य उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ उठाना चाहिए था। आम तौर पर, एफआईआर की अनुचित जांच से उत्पन्न शिकायत के मामले में, पीड़ित व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 36 के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क करके इसके निवारण का सहारा ले सकता है।

यदि शिकायत अभी भी कम नहीं हुई है, तो व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है, जो आगे की जांच और पुलिस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सलाह दी जाए तो पीड़ित पक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुन सकता है।

15. इस आधार पर, यदि सलाह दी जाए तो तत्काल याचिका का निपटारा उपयुक्त फोरम में जाने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

16. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।